जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनाँक 03.07.2025

हाइवे पर खड़े ट्रकों के तिरपाल काटकर चोरी करने वाले गैंग का भण्डाफोड़

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा चोरी के 50 ली0 डीजल, 01 अदद पिकप, चोरी करने के उपकरणों के साथ 04 शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार

जनपद संतकबीरनगर में चोरी की 03 घटनाओं का खुलासा

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिंह*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री पंकज कुमार पाण्डेय*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा आज दिनांक 03.07.2025 को 04 अभियुक्तगण नाम पता 01. दयानन्द शर्मा पुत्र रामकमल शर्मा, 02.राज प्रताप सिंह पुत्र ओरी सिंह, 03. पंकज चौरसिया पुत्र दिलेज चौरसिया निवासीगण गड़सरपार, 04. महेश कुमार पुत्र लालचन्द निवासी बयारा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को 01 अदद पीकप (यूपी 58 एटी 2458), 01 अदद गैलन में 50 लीटर डीजल, 02 अदद खाली गैलन 50 लीटर, 01 अदद प्लास्टिक का पाईप, 01 अदद सलाई रिंच, 4100 रुपये नकद के साथ मंझरिया मोड़ से गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 30.06.2025 को वादी श्री राकेश कुमार पुत्र श्रवण कुमार निवासी सेमरी खलीलाबाद थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर दिनांक 02.07.2025 को अज्ञात चोर द्वारा गड़सरापार चौराहे पर खड़ी ट्रक के टंकी से डीजल चोरी करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था, उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 575/2025 धारा 303(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

दिनांक 16.06.2025 को वादी श्री इस्लामुद्दीन पुत्र मकसद अली निवासी नाटल जनपद गाजियाबाद द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर दिनांक 02.07.2025 को अज्ञात चोर द्वारा सीएनजी पेट्रोल पम्प कांटे खलीलाबाद पर खड़ी ट्रक से 42 बोरी चावल के गट्टे गायब होने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था, उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 574/2025 धारा 303(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

दिनांक 24.06.2025 को वादी श्री संजय कुमार यादव पुत्र राम चौधरी निवासी आर्यनगर वायना, फेफना जनपद बलिया द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर दिनांक 29.06.2025 को अज्ञात चोर द्वारा ब्रदर्स ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट ग्राम सेमरा मगहर पर खड़ी ट्रक से 25-30 गत्ता रिफाइण्ड तेल गायब होने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था, उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 563/2025 धारा 305(b) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. दयानन्द शर्मा पुत्र रामकमल शर्मा निवासी गड़सरपार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
2. राज प्रताप सिंह पुत्र ओरी सिंह निवासी गड़सरपार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

3. पंकज चौरसिया पुत्र दिलेज चौरसिया निवासी गड़सरपार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

4. महेश कुमार पुत्र लालचन्द निवासी बयारा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी का विवरणः-

1. 01 अदद पीकप (यूपी 58 एटी 2458)।

2. 01 अदद गैलन में 50 लीटर डीजल ।

03. 02 अदद खाली गैलन 50 लीटर।

04. 01 अदद प्लास्टिक का पाईप।

05. 01 अदद सलाई रिंच।

06. 4100 रुपये नकद।

पूछताछ विवरणः-

प्रथम घटना गिरफ्तार किये गये अभियुक्तो से पूछताछ की गयी तो बताया गया कि साहब दिनाँक 30.06.2025 की रात्रि में हम चारो लोग गड़सरपार चौराहे पर खड़ी एक ट्रक की टंकी से 50 लीटर डीजल चोरी किये थे, जिसके सम्बन्ध मे थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 575/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है ।

द्वितीय घटना दिनांक 16.06.2025 की रात में कांटे चौकी अन्तर्गत सीएनजी पेट्रोल पम्प के पास खड़ी ट्रक का तिरपाल काटकर चावल की बोरी चुराये थे। जिसे गोरखपुर लेजाकर बेचा था जिससे 29000 रुपये मिला था जिसे हम लोगो द्वारा अपस में बांट लिया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 574/2025 धारा 303(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

तृतीय घटना दिनांक 24.06.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद अन्तर्गत सेमरा मगहर के पास ब्रदर्स ढाबा पर खड़ी ट्रक का तिरपाल काटकर लगभग 25 से 30 पेटी रिफाइन्ड तेल चोरी किये थे, जिसे सहजनवा में एक व्यक्ति को बेचा था जिससे कुल 21000 रुपये मिला था। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 563/2025 धारा 305(b) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः-

उ0नि0 श्री मनीष कुमार जायसवाल, उ0नि0 श्री मोतीलाल यादव, उ0नि0 श्री हरिकेश भारती, हे0का0 प्रदीप सिंह विसेन, का0 कृष्णनारायण गोड़, का0 रमेश यादव, का0 गिरजेश कुमार, का0 अनूप शर्मा।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 15 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना को0 खलीलाबाद पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 06 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

- *थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 133 वाहनों से 1,45,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 03.07.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 133 वाहनों से 1,45,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना महुली पुलिस द्वारा 10 गुण्डा एक्ट में जिलाबदर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, जिला बदर आदेश का उल्लंघन कर लुक छिप कर जनपद में कर रहा था निवास

आज दिनांक 03.07.2025 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष महुली *श्री रजनीश राय* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति / वाहन व गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर 10 गुण्डा एक्ट में वांछित व जिलाबदर घोषित किए गये अभियुक्त नाम पता अवधेश पुत्र रामचन्दर साकिन मोलनापुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को जनपदीय सीमा के अन्तर्गत ग्राम चकमहुआ से जिलाबदर अवधि का उल्लंघन करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया। उक्त गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 253/2025 धारा 10 उत्तर प्रदेश गुण्ड नियत्रंण अधिनियम 1970 पंजीकृत किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त को जिला प्रशासन द्वारा छः माह की अवधि के लिए जनपद सन्तकबीरनगर से जिलाबदर का आदेश दिया गया था। अभियुक्त को इस आदेश का तामिला भी आदेशोपरान्त करवा दिया गया था, उसके उपरान्त भी अभियुक्त जनपद की सीमा में लुक छिप कर निवास कर रहा था। जिलाबदर आदेश के उल्लंघन के क्रम में थाना महुली पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त को आज दिनांक 03.07.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

01.मु0अ0सं0 106/2022 धारा 376/377/323/504/506 भा0द0वि0 व 3(ii)(v)/ 3(i)(w)(ii) एससी/एसटी एक्ट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

02. मु0अ0सं0 253/2025 धारा 10 उत्तर प्रदेश गुण्ड नियत्रंण अधिनियम 1970 थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री अनिल प्रकाश पाण्डेय, हे0का0 गौतम यादव।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आबकारी अधिनियम के मामले में अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 03.07.2025 को मा0 न्यायालय – **सीजे(एसडी) एफटीसी/एसीजेएम संतकबीरनगर** द्वारा थाना मेंहदावल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 182/2020 धारा 60(1) अबकारी अधिनियम के मामलें में अभियुक्त रामकुमार पुत्र गंगाराम सा0 अमरडोभा थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्वीकृति के आधार पर अभियुक्त रामकुमार को धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के अपराध के लिए न्यायालय उठने तक का कारावास तथा 01 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आबकारी अधिनियम के मामले में अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 03.07.2025 को मा0 न्यायालय – **सीजे(एसडी) एफटीसी/एसीजेएम संतकबीरनगर** द्वारा थाना मेंहदावल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 223/2018 धारा 60(1) अबकारी अधिनियम के मामलें में अभियुक्त शुभम उर्फ गोलू मद्धेशिया पुत्र ओमप्रकाश मद्धेशिया सा0 हरदीहट्टा थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्वीकृति के आधार पर अभियुक्त शुभम उर्फ गोलू मद्धेशिया को धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के अपराध के लिए न्यायालय उठने तक का कारावास तथा 02 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के मारपीट के मामले में अभियुक्ता को 03 वर्ष के कारावास व 5500 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में **मानीटरिंग सेल की लगातार प्रभावी पैरवी** के फलस्वरुप आज दिनांक 03.07.2025 को मा0 न्या0 विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट **जनपद सन्तकबीरनगर** द्वारा **थाना खलीलाबाद** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 2927/2009 धारा 323/504/506 भादवि व 3(1)(ix) एससी/एसटी एक्ट में दोषसिद्ध अभियुक्ता नाम पता श्रीमती प्रेमा देवी पत्नी स्व0 लक्ष्मण मौर्या सा0 रसहरा थाना खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को मुकदमा उपरोक्त में धारा 323 भादवि में 06 माह के कारावास तथा 500 रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास, धारा 504 भादवि में 01 वर्ष का कारावास तथा 01 हजार रु0 अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास, धारा 506 भादवि में 01 वर्ष का कारावास तथा 01 हजार रु0 अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास, धारा 3(1)(ix) एससी/एसटी एक्ट में 03 वर्ष का कारावास व 03 हजार रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आबकारी अधिनियम के मामले में अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 3000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 03.07.2025 को मा0 न्यायालय – **सीजे(एसडी) एफटीसी/एसीजेएम संतकबीरनगर** द्वारा थाना मेंहदावल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 179/2018 धारा 60(1) अबकारी अधिनियम के मामलें में अभियुक्त विनोद पुत्र रामविलास सा0 भरवलिया पाण्डेय थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्वीकृति अभियुक्त रामकुमार को धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के अपराध के लिए न्यायालय उठने तक का कारावास तथा 03 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 2050रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 03.07.2025 को ***मा0 न्या0 सीजे(एसडी) एफटीसी/एसीजेएम संतकबीरनगर*** के द्वारा अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि तथा 2050 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-मु0अ0सं0 692/2005 धारा 5/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त शमशेर बंजारा पुत्र टिकोरी बंजारा सा0 दुर्गजोत, गौरी का पूरवा थाना बखिरा, जनपद संतकबीरनगर को मुकदमा उपरोक्त में धारा 5/8 गोवध निवारण अधिनियम में जेल में बितायी गयी अवधि व 02 हजार रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का साधारण कारावास तथा धारा 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम में जेल में बितायी गयी अवधि व 50 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 सप्ताह के साधारण कारावास कादण्ड भुगतना होगा ।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध निवारण अधिनियम के तहत 02 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा व 1300 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 03.07.2025 को ***मा0 न्या0 सीजे(जेडी)/जेएम संतकबीरनगर*** के द्वारा 02 अभियुक्तों को जेल में बितायी गयी अवधि तथा 1300 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-मु0अ0सं0 361/2006 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. जौहर पुत्र बहिरा उर्फ सुभानी 2. लल्लू पुत्र बहिरा उर्फ सुभानी साकिनान अर्जी थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर को मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/5/8 सीएस एक्ट में 600-600 रुपये अर्थदण्ड व धारा 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम में 50-50 रुपये अर्थदण्ड तथा न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्तगण द्वारा 02-02 दिवस के साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।